भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1345

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण 1948 (शक)

ईएसआई कवरेज के लिए मजदूरी सीमा

†1345. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कवरेज के लिए मजदूरी सीमा बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीवनयापन की लागत में वृद्धि के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के अनुरूप ईएसआई मजदूरी सीमा नहीं बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ईएसआई कवरेज का विस्तार अधिक क्षेत्रों में करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का काजू श्रमिकों सहित मौसमी श्रमिकों के सुपर स्पेशिएलिटी उपचार के लिए लागू उपस्थिति शर्तों में ढील देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): मजदूरी सीमा में आवधिक रूप से समय-समय पर संशोधन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अधीन कवरेज हेतु मजदूरी सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 01.01.2017 को किया गया था, जिसमें मजदूरी सीमा को 15,000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000/- रुपये प्रति माह (नि:शक्त व्यक्तियों हेतु 25,000/- रुपये) कर दिया गया था।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसे दिनांक 21.11.2025 से लागू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2(29) के अधीन, "स्थापन" में व्यापक रूप से ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जहाँ औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य निर्दिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें, कारखाने, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र स्थापन, ऑडियो-विजुअल उत्पादन इकाइयाँ, सन्निर्माण स्थापन, बागान, खान, बंदरगाह और ऐसे क्षेत्र शामिल है जहाँ गोदी (डॉक) कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45 केंद्रीय सरकार को असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को ईएसआईसी के लाभ प्रदान करने हेतु योजना तैयार करने का अधिकार देती है।

वर्तमान में, ईएसआईसी के कवरेज से बाहर वाले मौसमी कारखाना कामगारों (सीजनल फैक्ट्री वर्कर्स), के सुपर स्पेशएलिटी उपचार के लिए लगाई गई उपस्थिति संबंधी शर्तों या प्रतिबंधों में ढील देने का ऐसा कोई उपबंध ईएसआईसी के अधीन नहीं है।
